

कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी
जलागम प्रबन्ध निदेशालय, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी, देहरादून (उत्तराखण्ड), 248006

ई-मेल : uttarakhandsina@gmail.com
वेबसाईट : www.iwmp.uttarakhand.in

फोन नं०. 0135-2768712, 2760362
फैक्स नं०. 0135-2760170, 2762839

पत्रांक 180 / 11-2/P.F./Budget/2011 / देहरादून दिनांक : 14, जुलाई, 2011

सेवा में,

मुख्य कृषि अधिकारी, हरिद्वार
सदस्य सचिव,
डी०डब्ल्यू०पी०एम०यू०
जनपद हरिद्वार.

विषय : समेकित जलागम प्रबन्ध कार्यक्रम (IWMP) के अन्तर्गत परियोजना कोष धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय भूमि संसाधन विभाग नई दिल्ली द्वारा राज्य की स्वीकृत परियोजनाओं के प्रारम्भिक चरण हेतु 6% केन्द्रोश की धनराशि का आवंटन किया गया है। जिसके सापेक्ष राज्यांश SLNA को प्राप्त हो चुका है। यह धनराशि प्रारम्भिक कार्यकलाप (EPA)-4% विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR)-1% तथा प्रशासनिक एवं संस्थागत क्षमता विकास-1% के अनुसार उपयोग की जायेगी। भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार प्रशासनिक एवं संस्थागत क्षमता विकास मद में प्राप्त धनराशि में से SLNA हेतु निर्धारित 20% को WPMU में रखते हुए बाकी 80% तथा DPR व EPA मदों का 50% परियोजना/कार्यदायी संस्थावार निम्न शर्तों के अनुसार निम्न प्रकार आवंटित किया जा रहा है।

(Rs. In Lakhs)

Sl. No.	Name of Project	Name of PIA	Project Cost (in lakh)	Release to DWPMU for (DPR 0.5%)	Release to DWPMU for (EPA 2%)	Administrative & Institution & Capacity Building			Amount to be released DWPMU Project Account
						PIA Share 0.55 %	WPMC Share 0.17 %	WCDC Share 0.08%	
1	2	3	4	5	6	7	8	1	2
1	Haridwar (IWMP)-I/ 10-11	Chief Agriculture Officer, Haridwar	600.00	3.00000	12.00000	3.30000	1.02000	0.48000	19.80000
2	Haridwar (IWMP)-II/ 10-11	Chief Agriculture Officer, Haridwar	600.00	3.00000	12.00000	3.30000	1.02000	0.48000	19.80000
	District Total		1200.00	6.00000	24.00000	6.60000	2.04000	0.96000	39.60000

- तालिका के कालंम 5, 6, 7 व 8 में अंकित धनराशि कार्यदायी संस्था द्वारा व्यय की जानी प्रस्तावित है।
- तालिका के कालंम 5, 6 व 7 में अंकित धनराशि कार्यदायी संस्था के आई.डब्ल्यू.एम.पी. परियोजना कोष के बैंक खाते में हस्तान्तरित किया जायेगा।
- तालिका के कालंम 8 की धनराशि ग्राम पंचायतों के WPMC खातों में PIA के द्वारा हस्तान्तरित की जाएगी।
- तालिका के कालंम नं० 9 में अंकित धनराशि DWPMU के खातों में रहेगी। जिसका उपयोग केवल संस्थागत क्षमता विकास में किया जाएगा। WCDC प्रशासनिक मद के अन्तर्गत व्यय संस्थागत (Institutional Fund) कोष से करेगा।

5. कार्यदायी संस्था (PIA) तथा जल एवं जल प्रबन्धन समिति (WWMC) प्रशासनिक एवं संस्थागत क्षमता विकास की धनराशि जो कि कमंश 2:1 के अनुपात से उपयोग में लाया जायेगा। ग्राम पंचायत स्तर पर आई.डब्लू.एम.पी. परियोजना कोष हेतु डब्लू.डब्लू.एम.सी. द्वारा एक पृथक बैंक खाता खोला जायेगा। राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी स्टेयरिंग कमेटी की दिनांक 2 मई 2011 को शासन में आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि उक्त खाते का संचालन ग्राम प्रधान तथा महिला वार्ड मेम्बर द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु पृथक से शासनादेश जारी करने की कार्यवाही की जा रही है। प्रशासनिक व्यय तथा संस्थागत क्षमता विकास मदों में विस्तृत मानको का निर्धारण कर आपके सुलभ सन्दर्भ हेतु संलग्न प्रेषित है।
6. डी.डब्लू.पी.एम.यू.के सदस्य सचिव कार्यालय में गठित डब्लू.सी.डी.सी. सेल को तालिका के कालम 9 में अंकित धनराशि केवल संस्थागत क्षमता विकास कार्यों में उपयोग हेतु आवंटित की जा रही है।
7. विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तथा प्रारम्भिक कार्यकलाप EPA मदों की अवशेष धनराशि कार्य प्रगति एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरान्त यथाशीघ्र अवमुक्त की जायेगी।
8. प्रत्येक कार्यदायी संस्था (PIA) किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में अपना परियोजना कोष नाम से बैंक खाता खुलवायेगें तथा DWPMU उसी खाते में PIA को धनराशि का हस्तान्तरण करेगें।
9. परियोजना कोष तथा संस्थागत कोष का लेखा-जोखा अलग-अलग तैयार किया जाएगा।
10. संलग्न प्रारूप 1, से प्रारूप 6 में प्रत्येक माह की अन्तिम तिथि तक प्रगति विवरण SLNA को uttarakhandslna@gmail.com पर E-mail द्वारा प्रेषित करना सुनिश्चित करें। ये प्रारूप हमारी website : www.iwmp.uttarakhand.in पर भी उपलब्ध है।

संलग्नक— उपरोक्तानुसार

भवदीया,

(नीना ग्रवाल)

अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी
(एस.एल.एन.ए.) उत्तराखण्ड
देहरादून।

पत्रांक 180 / 1-2 / P.F. / Budget / 2011 / दिनांकित

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष DWDU उत्तराखण्ड। (हरिद्वार)
2. समस्त कार्यदायी संस्थाएं। (सम्बन्धित)
3. सचिव जलागम उत्तराखण्ड शासन सूचनार्थ।
4. सिस्टम मैनेजर जलागम प्रबन्ध निदेशालय को SLNA की website पर अंकित करने हेतु।

(नीना ग्रवाल)

अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी
(एस.एल.एन.ए.) उत्तराखण्ड
देहरादून।

कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी
जलागम प्रबन्ध निदेशालय, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी, देहरादून (उत्तराखण्ड), 248006

ई-मेल : uttarakhandslna@gmail.com
वेबसाईट : www.iwmp.uttarakhand.in

फोन नं०. 0135-2768712, 2760362
फैक्स नं०. 0135-2760170, 2762839

पत्रांक 181 / 11-2/P.F./Budget/2011 / देहरादून दिनांक : 19, जुलाई, 2011

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी (टिहरी डैम-॥ प्रभाग उत्तरकाशी)
सदस्य सचिव,
डी०डब्ल्यू०पी०एम०यू०
जनपद उत्तरकाशी.

विषय : समेकित जलागम प्रबन्ध कार्यक्रम (IWMP) के अन्तर्गत परियोजना कोष धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक भारत सरकार, ग्रामीण विकास मन्त्रालय भूमि संसाधन विभाग नई दिल्ली द्वारा राज्य की स्वीकृत परियोजनाओं के प्रारम्भिक चरण हेतु 6% केन्द्रांश की धनराशि का आवंटन किया गया है। जिसके सापेक्ष राज्यांश SLNA को प्राप्त हो चुका है। यह धनराशि प्रारम्भिक कार्यकलाप (EPA)-4% विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR)-1% तथा प्रशासनिक एवं संस्थागत क्षमता विकास-1% के अनुसार उपयोग की जायेगी। भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार प्रशासनिक एवं संस्थागत क्षमता विकास मद में प्राप्त धनराशि में से SLNA हेतु निर्धारित 20% को WPMU में रखते हुए बाकी 80% तथा DPR व EPA मदों का 50% परियोजना/कार्यदायी संस्थावार निम्न शर्तों के अनुसार निम्न प्रकार आवंटित किया जा रहा है।

(Rs. In Lakhs)

Sl. No.	Name of Project	Name of PIA	Project Cost (in lakh)	Release to DWPMU for (DPR 0.5%)	Release to DWPMU for (EPA 2%)	Administrative & Institution & Capacity Building			Amount to be released DWPMU Project Account
						PIA Share 0.55 %	WPMC Share 0.17 %	WCDC Share 0.08%	
1	2	3	4	5	6	7	8	1	2
1	Uttarkashi (IWMP)-I/ 10-11	Project Director, DRDA, Uttarkashi	805.80	4.02900	16.11600	4.43190	1.36986	0.64464	26.59140
2	Uttarkashi (IWMP)-III/ 10-11	Divisional Forest Officer, Upper Yamuna Forest Division, Barkot, Uttarkashi	900.60	4.50300	18.01200	4.95330	1.53102	0.72048	29.71980
District Total			1706.40	8.53200	34.12800	9.38520	2.90088	1.36512	56.31120

नोट : उत्तरकाशी IWMP-II/10-11 की कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधियों द्वारा DPR प्रशिक्षण में भाग न लेने के कारण धनराशि अवमुक्त नहीं की जा रही है।

1. तालिका के कालंम 5, 6, 7 व 8 में अंकित धनराशि कार्यदायी संस्था द्वारा व्यय की जानी प्रस्तावित है।
2. तालिका के कालंम 5, 6 व 7 में अंकित धनराशि कार्यदायी संस्था के आई.डब्ल्यू.एम.पी. परियोजना कोष के बैंक खाते में हस्तान्तरित किया जायेगा।

3. तालिका के कालम 8 की धनराशि ग्राम पंचायतों के WWMC खातों में PIA के द्वारा हस्तान्तरित की जाएगी।
4. तालिका के कालम नं० 9 में अंकित धनराशि DWPMU के खातों में रहेगी। जिसका उपयोग केवल संस्थागत क्षमता विकास में किया जाएगा। WCDC प्रशासनिक मद के अन्तर्गत व्यय संस्थागत (Institutional Fund) कोष से करेगा।
5. कार्यदायी संस्था (PIA) तथा जल एवं जल प्रबन्धन समिति (WWMC) प्रशासनिक एवं संस्थागत क्षमता विकास की धनराशि जो कि कमश 2:1 के अनुपात से उपयोग में लाया जायेगा। ग्राम पंचायत स्तर पर आई.डब्लू.एम.पी. परियोजना कोष हेतु डब्लू.डब्लू.एम.सी. द्वारा एक पृथक बैंक खाता खोला जायेगा। राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी स्टेयरिंग कमेटी की दिनांक 2 मई 2011 को शासन में आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि उक्त खाते का संचालन ग्राम प्रधान तथा महिला वार्ड मेम्बर द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु पृथक से शासनादेश जारी करने की कार्यवाही की जा रही है। प्रशासनिक व्यय तथा संस्थागत क्षमता विकास मदों में विस्तृत मानको का निर्धारण कर आपके सुलभ सन्दर्भ हेतु संलग्न प्रेषित है।
6. डी.डब्लू.पी.एम.यू.के सदस्य सचिव कार्यालय में गठित डब्लू.सी.डी.सी. सेल को तालिका के कालम 9 में अंकित धनराशि केवल संस्थागत क्षमता विकास कार्यों में उपयोग हेतु आवंटित की जा रही है।
7. विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तथा प्रारम्भिक कार्यकलाप EPA मदों की अवशेष धनराशि कार्य प्रगति एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरान्त यथाशीघ्र अवमुक्त की जायेगी।
8. प्रत्येक कार्यदायी संस्था (PIA) किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में अपना परियोजना कोष नाम से बैंक खाता खुलवायेगें तथा DWPMU उसी खाते में PIA को धनराशि का हस्तान्तरण करेगें।
9. परियोजना कोष तथा संस्थागत कोष का लेखा-जोखा अलग-अलग तैयार किया जाएगा।
10. संलग्न प्रारूप 1, से प्रारूप 6 में प्रत्येक माह की अन्तिम तिथि तक प्रगति विवरण SLNA को uttarakhandslna@gmail.com पर E-mail द्वारा प्रेषित करना सुनिश्चित करें। ये प्रारूप हमारी website : www.iwmp.uttarakhand.in पर भी उपलब्ध है।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार

भवदीया,

(नीना ग्रेवाल)

अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी
(एस.एल.एन.ए.) उत्तराखण्ड
देहरादून।

पत्रांक 181 / 1-2/P.F./Budget/2011/दिनांकित

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष DWDU उत्तराखण्ड।
2. समस्त कार्यदायी संस्थाएं।
3. सचिव जलागम उत्तराखण्ड शासन सूचनार्थ।
4. सिस्टम मैनेजर जलागम प्रबन्ध निदेशालय को SLNA की website पर अंकित करने हेतु।

(नीना ग्रेवाल)

अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी
(एस.एल.एन.ए.) उत्तराखण्ड
देहरादून।



कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी
जलागम प्रबन्ध निदेशालय, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी, देहरादून (उत्तराखण्ड), 248006

ई-मेल : uttarakhandsina@gmail.com
वेबसाइट : www.iwmp.uttarakhand.in

फोन नं. 0135-2768712, 2760362
फैक्स नं. 0135-2760170, 2762839

पत्रांक 182 / 1-2/P.F./Budget/2011 / देहरादून दिनांक : 19 जुलाई, 2011

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी (अलकनन्दा भूमि संरक्षण प्रभाग, गोपेश्वर चमोली)
सदस्य सचिव,
डी०डब्ल्यू०पी०एम०यू०
जनपद चमोली.

विषय : समेकित जलागम प्रबन्ध कार्यक्रम (IWMP) के अन्तर्गत परियोजना कोष धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय भूमि संसाधन विभाग नई दिल्ली द्वारा राज्य की स्वीकृत परियोजनाओं के प्रारम्भिक चरण हेतु 6% केन्द्रांश की धनराशि का आवंटन किया गया है। जिसके सापेक्ष राज्यांश SLNA को प्राप्त हो चुका है। यह धनराशि प्रारम्भिक कार्यकलाप (EPA)-4% विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR)-1% तथा प्रशासनिक एवं संस्थागत क्षमता विकास-1% के अनुसार उपयोग की जायेगी। भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार प्रशासनिक एवं संस्थागत क्षमता विकास मद में प्राप्त धनराशि में से SLNA हेतु निर्धारित 20% को WPMU में रखते हुए बाकी 80% तथा DPR व EPA मदों का 50% परियोजना/कार्यदायी संस्थावार निम्न शर्तों के अनुसार निम्न प्रकार आवंटित किया जा रहा है।

(Rs. In Lakhs)

Sl. No.	Name of Project	Name of PIA	Project Cost (in lakh)	Release to DWPMU for (DPR 0.5%)	Release to DWPMU for (EPA 2%)	Administrative & Institution & Capacity Building			Amount to be released DWPMU Project Account
						PIA Share 0.55 %	WWMC Share 0.17 %	WCDC Share 0.08%	
1	2	3	4	5	6	7	8	1	2
1	Chamoli (IWMP)-I/ 10-11	Divisional Forest Officer, Alaknanda, Chamoli	763.80	3.81900	15.27600	4.20090	1.29846	0.61104	25.20540
2	Chamoli (IWMP)-II/ 10-11	Chief Agriculture Officer, Chamoli	488.70	2.44350	9.77400	2.68785	0.83079	0.39096	16.12710
	District Total		1252.50	6.26250	25.05000	6.88875	2.12925	1.00200	41.33250

- तालिका के कालंम 5, 6, 7 व 8 में अंकित धनराशि कार्यदायी संस्था द्वारा व्यय की जानी प्रस्तावित है।
- तालिका के कालंम 5, 6 व 7 में अंकित धनराशि कार्यदायी संस्था के आई.डब्ल्यू.एम.पी. परियोजना कोष के बैंक खाते में हस्तान्तरित किया जायेगा।
- तालिका के कालंम 8 की धनराशि ग्राम पंचायतों के WWMC खातों में PIA के द्वारा हस्तान्तरित की जाएगी।

4. तालिका के कालम नं० 9 में अंकित धनराशि DWPMU के खातों में रहेगी। जिसका उपयोग केवल संस्थागत क्षमता विकास में किया जाएगा। WCDC प्रशासनिक मद के अन्तर्गत व्यय संस्थागत (Institutional Fund) कोष से करेगा।
5. कार्यदायी संस्था (PIA) तथा जल एवं जल प्रबन्धन समिति (WWMC) प्रशासनिक एवं संस्थागत क्षमता विकास की धनराशि जो कि कमंश 2:1 के अनुपात से उपयोग में लाया जायेगा। ग्राम पंचायत स्तर पर आई.डब्लू.एम.पी. परियोजना कोष हेतु डब्लू.डब्लू.एम.सी. द्वारा एक पृथक बैंक खाता खोला जायेगा। राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी स्टेयरिंग कमेटी की दिनांक 2 मई 2011 को शासन में आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि उक्त खाते का संचालन ग्राम प्रधान तथा महिला वार्ड मेम्बर द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु पृथक से शासनादेश जारी करने की कार्यवाही की जा रही है। प्रशासनिक व्यय तथा संस्थागत क्षमता विकास मदों में विस्तृत मानको का निर्धारण कर आपके सुलभ सन्दर्भ हेतु संलग्न प्रेषित है।
6. डी.डब्लू.पी.एम.यू.के सदस्य सचिव कार्यालय में गठित डब्लू.सी.डी.सी. सेल को तालिका के कालम 9 में अंकित धनराशि केवल संस्थागत क्षमता विकास कार्यों में उपयोग हेतु आवंटित की जा रही है।
7. विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तथा प्रारम्भिक कार्यकलाप EPA मदों की अवशेष धनराशि कार्य प्रगति एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरान्त यथाशीघ्र अवमुक्त की जायेगी।
8. प्रत्येक कार्यदायी संस्था (PIA) किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में अपना परियोजना कोष नाम से बैंक खाता खुलवायेगें तथा DWPMU उसी खाते में PIA को धनराशि का हस्तान्तरण करेगें।
9. परियोजना कोष तथा संस्थागत कोष का लेखा-जोखा अलग-अलग तैयार किया जाएगा।
10. संलग्न प्रारूप 1, से प्रारूप 6 में प्रत्येक माह की अन्तिम तिथि तक प्रगति विवरण SLNA को uttarakhandslna@gmail.com पर E-mail द्वारा प्रेषित करना सुनिश्चित करें। ये प्रारूप हमारी website : www.iwmp.uttarakhand.in पर भी उपलब्ध है।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार

भवदीया,

(नीना/ग्रेवाल)

अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी
(एस.एल.एन.ए.) उत्तराखण्ड
देहरादून।

पत्रांक 182 / 1-2 / P.F. / Budget / 2011 / दिनांकित

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष DWDU उत्तराखण्ड।
2. समस्त कार्यदायी संस्थाएं।
3. सचिव जलागम उत्तराखण्ड शासन सूचनार्थ।
4. सिस्टम मैनेजर जलागम प्रबन्ध निदेशालय को SLNA की website पर अंकित करने हेतु।

(नीना/ग्रेवाल)

अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी
(एस.एल.एन.ए.) उत्तराखण्ड
देहरादून।



कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी
जलागम प्रबन्ध निदेशालय, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी, देहरादून (उत्तराखण्ड), 248006

ईमेल : uttarakhandsna@gmail.com
वेबसाईट : www.iwmp.uttarakhand.in

फोन नं. 0135-2768712, 2760362
फैक्स नं. 0135-2760170, 2762839

पत्रांक 183 / 11-2/P.F./Budget/2011 / देहरादून दिनांक : 19 जुलाई, 2011

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी (सिविल सोयम, पौड़ी गढ़वाल)

सदस्य सचिव,

डी०डब्ल्यू०पी०एम०यू०

जनपद पौड़ी गढ़वाल.

विषय : समेकित जलागम प्रबन्ध कार्यक्रम (IWMP) के अन्तर्गत परियोजना कोष धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय भूमि संसाधन विभाग नई दिल्ली द्वारा राज्य की स्वीकृत परियोजनाओं के प्रारम्भिक चरण हेतु 6% केन्द्रांश की धनराशि का आवंटन किया गया है। जिसके सापेक्ष राज्यांश SLNA को प्राप्त हो चुका है। यह धनराशि प्रारम्भिक कार्यकलाप (EPA)-4% विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR)-1% तथा प्रशासनिक एवं संस्थागत क्षमता विकास-1% के अनुसार उपयोग की जायेगी। भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार प्रशासनिक एवं संस्थागत क्षमता विकास मद में प्राप्त धनराशि में से SLNA हेतु निर्धारित 20% को WPMU में रखते हुए बाकी 80% तथा DPR व EPA मदों का 50% परियोजना/कार्यदायी संस्थावार निम्न शर्तों के अनुसार निम्न प्रकार आवंटित किया जा रहा है।

(Rs. In Lakhs)

Sl. No.	Name of Project	Name of PIA	Project Cost (in lakh)	Release to DWPMU for (DPR 0.5%)	Release to DWPMU for (EPA 2%)	Administrative & Institution & Capacity Building			Amount to be released DWPMU Project Account
						PIA Share 0.55 %	WWMC Share 0.17 %	WCDC Share 0.08%	
1	2	3	4	5	6	7	8	1	2
1	Pauri (IWMP)-I/ 10-11	Divisional Forest Officer, Civil Soyam, Pauri Garhwal	688.5	3.44250	13.77000	3.78675	1.17045	0.55080	22.72050
2	Pauri (IWMP)-II/ 10-11	Chief Agriculture Officer, Pauri Garhwal	716.85	3.58425	14.33700	3.94268	1.21865	0.57348	23.65605
3	Pauri (IWMP)-III/ 10-11	Parvatiya Jan Kalyan Sansthan Srinagar	764.55	3.82275	15.29100	4.20503	1.29974	0.61164	25.23015
4	Pauri (IWMP)-IV/ 10-11	Parvatiya Jan Kalyan Sansthan Srinagar	694.8	3.47400	13.89600	3.82140	1.18116	0.55584	22.92840
	District Total		2864.7	14.32350	57.29400	15.75585	4.86999	2.29176	94.53510

1. तालिका के कालंम 5, 6, 7 व 8 में अंकित धनराशि कार्यदायी संस्था द्वारा व्यय की जानी प्रस्तावित है।
2. तालिका के कालंम 5, 6 व 7 में अंकित धनराशि कार्यदायी संस्था के आई.डब्ल्यू.एम.पी. परियोजना कोष के बैंक खाते में हस्तान्तरित किया जायेगा।

3. तालिका के कालम 8 की धनराशि ग्राम पंचायतों के WWMC खातों में PIA के द्वारा हस्तान्तरित की जाएगी।
4. तालिका के कालम नं० 9 में अंकित धनराशि DWPMU के खातों में रहेगी। जिसका उपयोग केवल संस्थागत क्षमता विकास में किया जाएगा। WCDC प्रशासनिक मद के अन्तर्गत व्यय संस्थागत (Instituional Fund) कोष से करेगा।
5. कार्यदायी संस्था (PIA) तथा जल एवं जल प्रबन्धन समिति (WWMC) प्रशासनिक एवं संस्थागत क्षमता विकास की धनराशि जो कि कमंश 2:1 के अनुपात से उपयोग में लाया जायेगा। ग्राम पंचायत स्तर पर आई.डब्लू.एम.पी. परियोजना कोष हेतु डब्लू.डब्लू.एम.सी. द्वारा एक पृथक बैंक खाता खोला जायेगा। राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी स्टेयरिंग कमेटी की दिनांक 2 मई 2011 को शासन में आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि उक्त खाते का संचालन ग्राम प्रधान तथा महिला वार्ड मेम्बर द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु पृथक से शासनादेश जारी करने की कार्यवाही की जा रही है। प्रशासनिक व्यय तथा संस्थागत क्षमता विकास मदों में विस्तृत मानको का निर्धारण कर आपके सुलभ सन्दर्भ हेतु संलग्न प्रेषित है।
6. डी.डब्लू.पी.एम.यू.के सदस्य सचिव कार्यालय में गठित डब्लू.सी.डी.सी. सेल को तालिका के कालम 9 में अंकित धनराशि केवल संस्थागत क्षमता विकास कार्यों में उपयोग हेतु आवंटित की जा रही है।
7. विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तथा प्रारम्भिक कार्यकलाप EPA मदों की अवशेष धनराशि कार्य प्रगति एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरान्त यथाशीघ्र अवमुक्त की जायेगी।
8. प्रत्येक कार्यदायी संस्था (PIA) किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में अपना परियोजना कोष नाम से बैंक खाता खुलवायेगें तथा DWPMU उसी खाते में PIA को धनराशि का हस्तान्तरण करेगें।
9. परियोजना कोष तथा संस्थागत कोष का लेखा-जोखा अलग-अलग तैयार किया जाएगा।
10. संलग्न प्रारूप 1, से प्रारूप 6 में प्रत्येक माह की अन्तिम तिथि तक प्रगति विवरण SLNA को uttarakhandslna@gmail.com पर E-mail द्वारा प्रेषित करना सुनिश्चित करें। ये प्रारूप हमारी website : www.iwmp.uttarakhand.in पर भी उपलब्ध है।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार

भवदीया,


(नीना ग्रेवाल)

अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी
(एस.एल.एन.ए.) उत्तराखण्ड
देहरादून।

पत्रांक 183 / 1-2 / P.F. / Budget / 2011 / दिनांकित

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त जिलाधिकारी /अध्यक्ष DWDU उत्तराखण्ड।
2. समस्त कार्यदायी संस्थाए।
3. सचिव जलागम उत्तराखण्ड शासन सूचनार्थ।
4. सिस्टम मैनेजर जलागम प्रबन्ध निदेशालय को SLNA की website पर अंकित करने हेतु।



अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी
(एस.एल.एन.ए.) उत्तराखण्ड
देहरादून।



कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी
जलागम प्रबन्ध निदेशालय, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी, देहरादून (उत्तराखण्ड), 248006

ई:मेल : uttarakhandsina@gmail.com
वेबसाईट : www.iwmp.uttarakhand.in

फोन नं०. 0135-2768712, 2760362
फैक्स नं०. 0135-2760170, 2762839

पत्रांक 184 / 1-2/P.F./Budget/2011 / देहरादून दिनांक : 17 जुलाई, 2011

सेवा में,

मुख्य कृषि अधिकारी, देहरादून
सदस्य सचिव,
डी०डब्ल्यू०पी०एम०यू०
जनपद देहरादून.

विषय : समेकित जलागम प्रबन्ध कार्यक्रम (IWMP) के अन्तर्गत परियोजना कोष धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय भूमि संसाधन विभाग नई दिल्ली द्वारा राज्य की स्वीकृत परियोजनाओं के प्रारम्भिक चरण हेतु 6% केन्द्रांश की धनराशि का आवंटन किया गया है। जिसके सापेक्ष राज्यांश SLNA को प्राप्त हो चुका है। यह धनराशि प्रारम्भिक कार्यकलाप (EPA)-4% विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR)-1% तथा प्रशासनिक एवं संस्थागत क्षमता विकास-1% के अनुसार उपयोग की जायेगी। भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार प्रशासनिक एवं संस्थागत क्षमता विकास मद में प्राप्त धनराशि में से SLNA हेतु निर्धारित 20% को WPMU में रखते हुए बाकी 80% तथा DPR व EPA मदों का 50% परियोजना/कार्यदायी संस्थावार निम्न शर्तों के अनुसार निम्न प्रकार आवंटित किया जा रहा है।

(Rs. In Lakhs)

Sl. No.	Name of Project	Name of PIA	Project Cost (in lakh)	Release to DWPMU for (DPR 0.5%)	Release to DWPMU for (EPA 2%)	Administrative & Institution & Capacity Building			Amount to be released DWPMU Project Account
						PIA Share 0.55 %	WWMC Share 0.17 %	WCDC Share 0.08%	
1	2	3	4	5	6	7	8	1	2
1	Dehradun (IWMP)-I/ 10-11	Chief Agriculture Officer, Dehradun	877.05	4.38525	17.54100	4.82378	1.49099	0.70164	28.94265
2	Dehradun (IWMP)-II/ 10-11	Chief Agriculture Officer, Dehradun	744.15	3.72075	14.88300	4.09283	1.26506	0.59532	24.55695
3	Dehradun (IWMP)-III/ 10-11	Chief Agriculture Officer, Dehradun	818.25	4.09125	16.36500	4.50038	1.39103	0.65460	27.00225
	District Total		2439.45	12.19725	48.78900	13.41698	4.14707	1.95156	80.50185

1. तालिका के कालंम 5, 6, 7 व 8 में अंकित धनराशि कार्यदायी संस्था द्वारा व्यय की जानी प्रस्तावित है।
2. तालिका के कालंम 5, 6 व 7 में अंकित धनराशि कार्यदायी संस्था के आई.डब्ल्यू.एम.पी. परियोजना कोष के बैंक खाते में हस्तान्तरित किया जायेगा।
3. तालिका के कालंम 8 की धनराशि ग्राम पंचायतों के WWMC खातों में PIA के द्वारा हस्तान्तरित की जाएगी।

4. तालिका के कालम नं0 9 में अंकित धनराशि DWPMU के खातों में रहेगी। जिसका उपयोग केवल संस्थागत क्षमता विकास में किया जाएगा। WCDC प्रशासनिक मद के अन्तर्गत व्यय संस्थागत (Institutional Fund) कोष से करेगा।
5. कार्यदायी संस्था (PIA) तथा जल एवं जल प्रबन्धन समिति (WWMC) प्रशासनिक एवं संस्थागत क्षमता विकास की धनराशि जो कि क्रमशः 2:1 के अनुपात से उपयोग में लाया जायेगा। ग्राम पंचायत स्तर पर आई.डब्ल्यू.एम.पी. परियोजना कोष हेतु डब्ल्यू.डब्ल्यू.एम.सी. द्वारा एक पृथक बैंक खाता खोला जायेगा। राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी स्टेयरिंग कमेटी की दिनांक 2 मई 2011 को शासन में आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि उक्त खाते का संचालन ग्राम प्रधान तथा महिला वार्ड मेम्बर द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु पृथक से शासनादेश जारी करने की कार्यवाही की जा रही है। प्रशासनिक व्यय तथा संस्थागत क्षमता विकास मदों में विस्तृत मानको का निर्धारण कर आपके सुलभ सन्दर्भ हेतु संलग्न प्रेषित है।
6. डी.डब्ल्यू.पी.एम.यू.के सदस्य सचिव कार्यालय में गठित डब्ल्यू.सी.डी.सी. सेल को तालिका के कालम 9 में अंकित धनराशि केवल संस्थागत क्षमता विकास कार्यों में उपयोग हेतु आवंटित की जा रही है।
7. विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तथा प्रारम्भिक कार्यकलाप EPA मदों की अवशेष धनराशि कार्य प्रगति एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरान्त यथाशीघ्र अवमुक्त की जायेगी।
8. प्रत्येक कार्यदायी संस्था (PIA) किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में अपना परियोजना कोष नाम से बैंक खाता खुलवायेगें तथा DWPMU उसी खाते में PIA को धनराशि का हस्तान्तरण करेगें।
9. परियोजना कोष तथा संस्थागत कोष का लेखा-जोखा अलग-अलग तैयार किया जाएगा।
10. संलग्न प्रारूप 1, से प्रारूप 6 में प्रत्येक माह की अन्तिम तिथि तक प्रगति विवरण SLNA को uttarakhandslna@gmail.com पर E-mail द्वारा प्रेषित करना सुनिश्चित करें। ये प्रारूप हमारी website : www.iwmp.uttarakhand.in पर भी उपलब्ध है।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार

भारतिया,

(नीना ग्रेवाल)

अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी
(एस.एल.एन.ए.) उत्तराखण्ड
देहरादून।


पत्रांक / 1 - 2 / P.F. / Budget / 2011 / दिनांकित

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष DWDU उत्तराखण्ड।
2. समस्त कार्यदायी संस्थाएं।
3. सचिव जलागम उत्तराखण्ड शासन सूचनार्थ।
4. सिस्टम मैनेजर जलागम प्रबन्ध निदेशालय को SLNA की website पर अंकित करने हेतु।

(नीना ग्रेवाल)

अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी
(एस.एल.एन.ए.) उत्तराखण्ड
देहरादून।



कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी
जलागम प्रबन्ध निदेशालय, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी, देहरादून (उत्तराखण्ड), 248006

ई:मेल : uttarakhandslna@gmail.com
वेबसाईट : www.iwmp.uttarakhand.in

फोन नं०. 0135-2768712, 2760362
फैक्स नं०. 0135-2760170, 2762839

पत्रांक 185 / 1-2/P.F./Budget/2011 / देहरादून दिनांक 19, जुलाई, 2011

सेवा में,

मुख्य कृषि अधिकारी, उद्यमसिंहनगर
सदस्य सचिव,
डी०डब्ल्यू०पी०एम०यू०
जनपद उद्यमसिंहनगर

विषय : समेकित जलागम प्रबन्ध कार्यक्रम (IWMP) के अन्तर्गत परियोजना कोष धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय भूमि संसाधन विभाग नई दिल्ली द्वारा राज्य की स्वीकृत परियोजनाओं के प्रारम्भिक चरण हेतु 6% केन्द्रोश की धनराशि का आवंटन किया गया है। जिसके सापेक्ष राज्यांश SLNA को प्राप्त हो चुका है। यह धनराशि प्रारम्भिक कार्यकलाप (EPA)-4% विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR)-1% तथा प्रशासनिक एवं संस्थागत क्षमता विकास-1% के अनुसार उपयोग की जायेगी। भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार प्रशासनिक एवं संस्थागत क्षमता विकास मद में प्राप्त धनराशि में से SLNA हेतु निर्धारित 20% को WPMU में रखते हुए बाकी 80% तथा DPR व EPA मदों का 50% परियोजना/कार्यदायी संस्थावार निम्न शर्तों के अनुसार निम्न प्रकार आवंटित किया जा रहा है।

(Rs. In Lakhs)

Sl. No.	Name of Project	Name of PIA	Project Cost (in lakh)	Release to DWPMU for (DPR 0.5%)	Release to DWPMU for (EPA 2%)	Administrative & Institution & Capacity Building			Amount to be released DWPMU Project Account
						PIA Share 0.55 %	WWMC Share 0.17 %	WCDC Share 0.08%	
1	2	3	4	5	6	7	8	1	2
1	US Nagar (IWM)P-I/ 10-11	Chief Agriculture Officer, US Nagar	750.00	3.75000	15.00000	4.12500	1.27500	0.60000	24.75000
2	US Nagar (IWMP)-II/ 10-11	Chief Agriculture Officer, US Nagar	750.00	3.75000	15.00000	4.12500	1.27500	0.60000	24.75000
3	US Nagar (IWMP)-III/ 10-11	Chief Agriculture Officer, US Nagar	600.00	3.00000	12.00000	3.30000	1.02000	0.48000	19.80000
4	US Nagar (IWMP)-IV/ 10-11	Chief Agriculture Officer, US Nagar	600.00	3.00000	12.00000	3.30000	1.02000	0.48000	19.80000
	District Total		2700.00	13.50000	54.00000	14.85000	4.59000	2.16000	89.10000

1. तालिका के कालंम 5, 6, 7 व 8 में अंकित धनराशि कार्यदायी संस्था द्वारा व्यय की जानी प्रस्तावित है।
2. तालिका के कालंम 5, 6 व 7 में अंकित धनराशि कार्यदायी संस्था के आई.डब्ल्यू.एम.पी. परियोजना कोष के बैंक खाते में हस्तान्तरित किया जायेगा।

3. तालिका के कालम 8 की धनराशि ग्राम पंचायतों के WWMC खातों में PIA के द्वारा हस्तान्तरित की जाएगी।
4. तालिका के कालम नं0 9 में अंकित धनराशि DWPMU के खातों में रहेगी। जिसका उपयोग केवल संस्थागत क्षमता विकास में किया जाएगा। WCDC प्रशासनिक मद के अन्तर्गत व्यय संस्थागत (Institutional Fund) कोष से करेगा।
5. कार्यदायी संस्था (PIA) तथा जल एवं जल प्रबन्धन समिति (WWMC) प्रशासनिक एवं संस्थागत क्षमता विकास की धनराशि जो कि कमंश 2:1 के अनुपात से उपयोग में लाया जायेगा। ग्राम पंचायत स्तर पर आई.डब्लू.एम.पी. परियोजना कोष हेतु डब्लू.डब्लू.एम.सी. द्वारा एक पृथक बैंक खाता खोला जायेगा। राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी स्टेयरिंग कमेटी की दिनांक 2 मई 2011 को शासन में आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि उक्त खाते का संचालन ग्राम प्रधान तथा महिला वार्ड मेम्बर द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु पृथक से शासनादेश जारी करने की कार्यवाही की जा रही है। प्रशासनिक व्यय तथा संस्थागत क्षमता विकास मदों में विस्तृत मानको का निर्धारण कर आपके सुलभ सन्दर्भ हेतु संलग्न प्रेषित है।
6. डी.डब्लू.पी.एम.यू.के सदस्य सचिव कार्यालय में गठित डब्लू.सी.डी.सी. सेल को तालिका के कालम 9 में अंकित धनराशि केवल संस्थागत क्षमता विकास कार्यों में उपयोग हेतु आवंटित की जा रही है।
7. विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तथा प्रारम्भिक कार्यकलाप EPA मदों की अवशेष धनराशि कार्य प्रगति एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरान्त यथाशीघ्र अवमुक्त की जायेगी।
8. प्रत्येक कार्यदायी संस्था (PIA) किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में अपना परियोजना कोष नाम से बैंक खाता खुलवायेगें तथा DWPMU उसी खाते में PIA को धनराशि का हस्तान्तरण करेगें।
9. परियोजना कोष तथा संस्थागत कोष का लेखा-जोखा अलग-अलग तैयार किया जाएगा।
10. संलग्न प्रारूप 1, से प्रारूप 6 में प्रत्येक माह की अन्तिम तिथि तक प्रगति विवरण SLNA को uttarakhandslna@gmail.com पर E-mail द्वारा प्रेषित करना सुनिश्चित करें। ये प्रारूप हमारी website : www.iwmp.uttarakhand.in पर भी उपलब्ध है।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार

भवदीया,

(नीना ग्रेवाल)

अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी
(एस.एल.एन.ए.) उत्तराखण्ड
देहरादून।

पत्रांक 185 / 11-2 / P.F. / Budget / 2011 / दिनांकित

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त जिलाधिकारी / अध्यक्ष DWDU उत्तराखण्ड।
2. समस्त कार्यदायी संस्थाएं।
3. सचिव जलागम उत्तराखण्ड शासन सूचनार्थ।
4. सिस्टम मैनेजर जलागम प्रबन्ध निदेशालय को SLNA की website पर अंकित करने हेतु।

(नीना ग्रेवाल)

अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी
(एस.एल.एन.ए.) उत्तराखण्ड
देहरादून।



कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी
जलागम प्रबन्ध निदेशालय, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी, देहरादून (उत्तराखण्ड), 248006

ई-मेल : uttarakhandslna@gmail.com
वेबसाईट : www.iwmp.uttarakhand.in

फोन नं०. 0135-2768712, 2760362
फैक्स नं०. 0135-2760170, 2762839

पत्रांक 186 / 1 - 2 / P.F. / Budget / 2011 / देहरादून दिनांक 19, जुलाई, 2011

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी, (सिविल सोयम प्रभाग अल्मोड़ा / भूमि संरक्षण प्रभाग, सनीखेत)
सदस्य सचिव,
डी०डब्ल्यू०पी०एम०यू०
जनपद अल्मोड़ा.

विषय : समेकित जलागम प्रबन्ध कार्यक्रम (IWMP) के अन्तर्गत परियोजना कोष धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय भूमि संसाधन विभाग नई दिल्ली द्वारा राज्य की स्वीकृत परियोजनाओं के प्रारम्भिक चरण हेतु 6% केन्द्रांश की धनराशि का आवंटन किया गया है। जिसके सापेक्ष राज्यांश SLNA को प्राप्त हो चुका है। यह धनराशि प्रारम्भिक कार्यकलाप (EPA)-4% विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR)-1% तथा प्रशासनिक एवं संस्थागत क्षमता विकास-1% के अनुसार उपयोग की जायेगी। भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार प्रशासनिक एवं संस्थागत क्षमता विकास मद में प्राप्त धनराशि में से SLNA हेतु निर्धारित 20% को WPMU में रखते हुए बाकी 80% तथा DPR व EPA मदों का 50% परियोजना/कार्यदायी संस्थावार निम्न शर्तों के अनुसार निम्न प्रकार आवंटित किया जा रहा है।

(Rs. In Lakhs)

Sl. No.	Name of Project	Name of PIA	Project Cost (in lakh)	Release to DWPMU for (DPR 0.5%)	Release to DWPMU for (EPA 2%)	Administrative & Institution & Capacity Building			Amount to be released DWPMU Project Account
						PIA Share 0.55 %	WWMC Share 0.17 %	WCDC Share 0.08%	
1	2	3	4	5	6	7	8	1	2
1	Almora (IWMP)-I/ 10-11	Divisional Forest Officer, Ranikhet, Almora	556.80	2.78400	11.13600	3.06240	0.94656	0.44544	18.37440
2	Almora (IWMP)-II/ 10-11	Chief Agriculture Officer, Almora	787.65	3.93825	15.75300	4.33208	1.33901	0.63012	25.99245
3	Almora (IWMP)-III/ 10-11	Divisional Forest Officer, Ranikhet, Almora	766.80	3.83400	15.33600	4.21740	1.30356	0.61344	25.30440
4	Almora (IWMP)-IV/ 10-11	Chief Agriculture Officer, Almora	844.05	4.22025	16.88100	4.64228	1.43489	0.67524	27.85365
District Total			2955.30	14.77650	59.10600	16.25415	5.02401	2.36424	97.52490

1. तालिका के कालंम 5, 6, 7 व 8 में अंकित धनराशि कार्यदायी संस्था द्वारा व्यय की जानी प्रस्तावित है।
2. तालिका के कालंम 5, 6 व 7 में अंकित धनराशि कार्यदायी संस्था के आई.डब्ल्यू.एम.पी. परियोजना कोष के बैंक खाते में हस्तान्तरित किया जायेगा।

3. तालिका के कालम 8 की धनराशि ग्राम पंचायतों के WWMC खातों में PIA के द्वारा हस्तान्तरित की जाएगी।
4. तालिका के कालम नं0 9 में अंकित धनराशि DWPMU के खातों में रहेगी। जिसका उपयोग केवल संस्थागत क्षमता विकास में किया जाएगा। WCDC प्रशासनिक मद के अन्तर्गत व्यय संस्थागत (Instituional Fund) कोष से करेगा।
5. कार्यदायी संस्था (PIA) तथा जल एवं जल प्रबन्धन समिति (WWMC) प्रशासनिक एवं संस्थागत क्षमता विकास की धनराशि जो कि कर्मश 2:1 के अनुपात से उपयोग में लाया जायेगा। ग्राम पंचायत स्तर पर आई.डब्लू.एम.पी. परियोजना कोष हेतु डब्लू.डब्लू.एम.सी. द्वारा एक पृथक बैंक खाता खोला जायेगा। राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी स्टेयरिंग कमेटी की दिनांक 2 मई 2011 को शासन में आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि उक्त खाते का संचालन ग्राम प्रधान तथा महिला वार्ड मेम्बर द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु पृथक से शासनादेश जारी करने की कार्यवाही की जा रही है। प्रशासनिक व्यय तथा संस्थागत क्षमता विकास मदों में विस्तृत मानको का निर्धारण कर आपके सुलभ सन्दर्भ हेतु संलग्न प्रेषित है।
6. डी.डब्लू.पी.एम.यू.के सदस्य सचिव कार्यालय में गठित डब्लू.सी.डी.सी. सेल को तालिका के कालम 9 में अंकित धनराशि केवल संस्थागत क्षमता विकास कार्यों में उपयोग हेतु आवंटित की जा रही है।
7. विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तथा प्रारम्भिक कार्यकलाप EPA मदों की अवशेष धनराशि कार्य प्रगति एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरान्त यथाशीघ्र अवमुक्त की जायेगी।
8. प्रत्येक कार्यदायी संस्था (PIA) किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में अपना परियोजना कोष नाम से बैंक खाता खुलवायेगें तथा DWPMU उसी खाते में PIA को धनराशि का हस्तान्तरण करेगें।
9. परियोजना कोष तथा संस्थागत कोष का लेखा-जोखा अलग-अलग तैयार किया जाएगा।
10. संलग्न प्रारूप 1, से प्रारूप 6 में प्रत्येक माह की अन्तिम तिथि तक प्रगति विवरण SLNA को uttarakhandslna@gmail.com पर E-mail द्वारा प्रेषित करना सुनिश्चित करें। ये प्रारूप हमारी website : www.iwmp.uttarakhand.in पर भी उपलब्ध है।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार

भवदीया,

(नीना ग्रेवाल)

अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी
(एस.एल.एन.ए.) उत्तराखण्ड
देहरादून।

पत्रांक 186 / 1-2 / P.F. / Budget / 2011 / दिनांकित

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष DWDU उत्तराखण्ड।
2. समस्त कार्यदायी संस्थाएं।
3. सचिव जलागम उत्तराखण्ड शासन सूचनार्थ।
4. सिस्टम मैनेजर जलागम प्रबन्ध निदेशालय को SLNA की website पर अंकित करने हेतु।

(नीना ग्रेवाल)

अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी
(एस.एल.एन.ए.) उत्तराखण्ड
देहरादून।



कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी
जलागम प्रबन्ध निदेशालय, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी, देहरादून (उत्तराखण्ड), 248006

ई-मेल : uttarakhandslna@gmail.com
वेबसाईट : www.iwmp.uttarakhand.in

फोन नं. 0135-2768712, 2760362
फैक्स नं. 0135-2760170, 2762839

पत्रांक 183 / 1-2/P.F./Budget/2011 / देहरादून दिनांक 29, जुलाई, 2011

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत
सदस्य सचिव,
डी०डब्लू०पी०एम०यू०
जनपद चम्पावत.

विषय : समेकित जलागम प्रबन्ध कार्यक्रम (IWMP) के अन्तर्गत परियोजना कोष धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय भूमि संसाधन विभाग नई दिल्ली द्वारा राज्य की स्वीकृत परियोजनाओं के प्रारम्भिक चरण हेतु 6% केन्द्रांश की धनराशि का आवंटन किया गया है। जिसके सापेक्ष राज्यांश SLNA को प्राप्त हो चुका है। यह धनराशि प्रारम्भिक कार्यकलाप (EPA)-4% विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR)-1% तथा प्रशासनिक एवं संस्थागत क्षमता विकास-1% के अनुसार उपयोग की जायेगी। भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार प्रशासनिक एवं संस्थागत क्षमता विकास मद में प्राप्त धनराशि में से SLNA हेतु निर्धारित 20% को WPMU में रखते हुए बाकी 80% तथा DPR व EPA मदों का 50% परियोजना/कार्यदायी संस्थावार निम्न शर्तों के अनुसार निम्न प्रकार आवंटित किया जा रहा है।

(Rs. In Lakhs)

Sl. No.	Name of Project	Name of PIA	Project Cost (in lakh)	Release to DWPMU for (DPR 0.5%)	Release to DWPMU for (EPA 2%)	Administrative & Institution & Capacity Building			Amount to be released DWPMU Project Account
						PIA Share 0.55 %	WWMC Share 0.17 %	WCDC Share 0.08%	
1	2	3	4	5	6	7	8	1	2
1	Champawat (IWMP)-I/ 10-11	Chief Agriculture Officer, Champawat	609.15	3.04575	12.18300	3.35033	1.03556	0.48732	20.10195
2	Champawat (IWMP)-II/ 10-11	Chief Agriculture Officer, Champawat	946.05	4.73025	18.92100	5.20328	1.60829	0.75684	31.21965
3	Champawat (IWMP)-III/ 10-11	Chief Agriculture Officer, Champawat	921.45	4.60725	18.42900	5.06798	1.56647	0.73716	30.40785
	District Total		2476.65	12.38325	49.53300	13.62158	4.21031	1.98132	81.72945

1. तालिका के कालंम 5, 6, 7 व 8 में अंकित धनराशि कार्यदायी संस्था द्वारा व्यय की जानी प्रस्तावित है।
2. तालिका के कालंम 5, 6 व 7 में अंकित धनराशि कार्यदायी संस्था के आई.डब्लू.एम.पी. परियोजना कोष के बैंक खाते में हस्तान्तरित किया जायेगा।
3. तालिका के कालंम 8 की धनराशि ग्राम पंचायतों के WWMC खातों में PIA के द्वारा हस्तान्तरित की जाएगी।

- तालिका के कालम नं० 9 में अंकित धनराशि DWPMU के खातों में रहेगी। जिसका उपयोग केवल संस्थागत क्षमता विकास में किया जाएगा। WCDC प्रशासनिक मद के अन्तर्गत व्यय संस्थागत (Institutional Fund) कोष से करेगा।
5. कार्यदायी संस्था (PIA) तथा जल एवं जल प्रबन्धन समिति (WWMC) प्रशासनिक एवं संस्थागत क्षमता विकास की धनराशि जो कि कमंश 2:1 के अनुपात से उपयोग में लाया जायेगा। ग्राम पंचायत स्तर पर आई.डब्ल्यू.एम.पी. परियोजना कोष हेतु डब्ल्यू.डब्ल्यू.एम.सी. द्वारा एक पृथक बैंक खाता खोला जायेगा। राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी स्टेयरिंग कमेटी की दिनांक 2 मई 2011 को शासन में आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि उक्त खाते का संचालन ग्राम प्रधान तथा महिला वार्ड मेम्बर द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु पृथक से शासनादेश जारी करने की कार्यवाही की जा रही है। प्रशासनिक व्यय तथा संस्थागत क्षमता विकास मदों में विस्तृत मानको का निर्धारण कर आपके सुलभ सन्दर्भ हेतु संलग्न प्रेषित है।
 6. डी.डब्ल्यू.पी.एम.यू.के सदस्य सचिव कार्यालय में गठित डब्ल्यू.सी.डी.सी. सेल को तालिका के कालम 9 में अंकित धनराशि केवल संस्थागत क्षमता विकास कार्यों में उपयोग हेतु आवंटित की जा रही है।
 7. विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तथा प्रारम्भिक कार्यकलाप EPA मदों की अवशेष धनराशि कार्य प्रगति एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरान्त यथाशीघ्र अवमुक्त की जायेगी।
 8. प्रत्येक कार्यदायी संस्था (PIA) किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में अपना परियोजना कोष नाम से बैंक खाता खुलवायेगें तथा DWPMU उसी खाते में PIA को धनराशि का हस्तान्तरण करेगें।
 9. परियोजना कोष तथा संस्थागत कोष का लेखा-जोखा अलग-अलग तैयार किया जाएगा।
 10. संलग्न प्रारूप 1, से प्रारूप 6 में प्रत्येक माह की अन्तिम तिथि तक प्रगति विवरण SLNA को uttarakhandslna@gmail.com पर E-mail द्वारा प्रेषित करना सुनिश्चित करें। ये प्रारूप हमारी website : www.iwmp.uttarakhand.in पर भी उपलब्ध है।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार

भवदीया,

(नीना ग्रेवाल)

अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी
(एस.एल.एन.ए.) उत्तराखण्ड
देहरादून।

पत्रांक 187 / 1-2 / P.F. / Budget / 2011 / दिनांकित

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष DWDU उत्तराखण्ड।
2. समस्त कार्यदायी संस्थाएं।
3. सचिव जलागम उत्तराखण्ड शासन सूचनार्थ।
4. सिस्टम मैनेजर जलागम प्रबन्ध निदेशालय को SLNA की website पर अंकित करने हेतु।

(नीना ग्रेवाल)

अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी
(एस.एल.एन.ए.) उत्तराखण्ड
देहरादून।



कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी
जलागम प्रबन्ध निदेशालय, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी, देहरादून (उत्तराखण्ड), 248006

ई-मेल : uttarakhandslna@gmail.com
वेबसाईट : www.iwmp.uttarakhand.in

फोन नं. 0135-2768712, 2760362
फैक्स नं. 0135-2760170, 2762839

पत्रांक 195 / 1-2/P.F./Budget/2011 / देहरादून दिनांक 20 जुलाई, 2011

सेवा में,

मुख्य कृषि अधिकारी रुद्रप्रयाग
सदस्य सचिव,
डी0डब्लू0पी0एम0यू0
जनपद रुद्रप्रयाग.

विषय : समेकित जलागम प्रबन्ध कार्यक्रम (IWMP) के अन्तर्गत परियोजना कोष धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय भूमि संसाधन विभाग नई दिल्ली द्वारा राज्य की स्वीकृत परियोजनाओं के प्रारम्भिक चरण हेतु 6% केन्द्रांश की धनराशि का आवंटन किया गया है। जिसके सापेक्ष राज्यांश SLNA को प्राप्त हो चुका है। यह धनराशि प्रारम्भिक कार्यकलाप (EPA)-4% विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR)-1% तथा प्रशासनिक एवं संस्थागत क्षमता विकास-1% के अनुसार उपयोग की जायेगी। भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार प्रशासनिक एवं संस्थागत क्षमता विकास मद में प्राप्त धनराशि में से SLNA हेतु निर्धारित 20% को WPMU में रखते हुए बाकी 80% तथा DPR व EPA मदों का 50% परियोजना/कार्यदायी संस्थावार निम्न शर्तों के अनुसार निम्न प्रकार आवंटित किया जा रहा है।


(Rs. In Lakhs)

Sl. No.	Name of Project	Name of PIA	Project Cost (in lakh)	Release to DWPMU for (DPR 0.5%)	Release to DWPMU for (EPA 2%)	Administrative & Institution & Capacity Building			Amount to be released DWPMU Project Account
						PIA Share 0.55 %	WWMC Share 0.17 %	WCDC Share 0.08%	
1	2	3	4	5	6	7	8	1	2
1	Rudraprayag (IWMP)-I/ 10-11	Chief Agriculture Officer, Rudraprayag	710.85	3.55425	14.21700	3.90968	1.20845	0.56868	23.45805
2	Rudraprayag (IWMP)-II/ 10-11	Chief Agriculture Officer, Rudraprayag	1140.00	5.70000	22.80000	6.27000	1.93800	0.91200	37.62000
	District Total		1850.85	9.25425	37.01700	10.17968	3.14645	1.48068	61.07805

1. तालिका के कालंम 5, 6, 7 व 8 में अंकित धनराशि कार्यदायी संस्था द्वारा व्यय की जानी प्रस्तावित है।
2. तालिका के कालंम 5, 6 व 7 में अंकित धनराशि कार्यदायी संस्था के आई.डब्लू.एम.पी. परियोजना कोष के बैंक खाते में हस्तान्तरित किया जायेगा।
3. तालिका के कालंम 8 की धनराशि ग्राम पंचायतों के WWMC खातों में PIA के द्वारा हस्तान्तरित की जाएगी।

4. तालिका के कालम नं० 9 में अंकित धनराशि DWPMU के खातों में रहेगी। जिसका उपयोग केवल संस्थागत क्षमता विकास में किया जाएगा। WCDC प्रशासनिक मद के अन्तर्गत व्यय संस्थागत (Institutional Fund) कोष से करेगा।
5. कार्यदायी संस्था (PIA) तथा जल एवं जल प्रबन्धन समिति (WWMC) प्रशासनिक एवं संस्थागत क्षमता विकास की धनराशि जो कि क्रमशः 2:1 के अनुपात से उपयोग में लाया जायेगा। ग्राम पंचायत स्तर पर आई.डब्ल्यू.एम.पी. परियोजना कोष हेतु डब्ल्यू.डब्ल्यू.एम.सी. द्वारा एक पृथक बैंक खाता खोला जायेगा। राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी स्टेयरिंग कमेटी की दिनांक 2 मई 2011 को शासन में आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि उक्त खाते का संचालन ग्राम प्रधान तथा महिला वार्ड मेम्बर द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु पृथक से शासनादेश जारी करने की कार्यवाही की जा रही है। प्रशासनिक व्यय तथा संस्थागत क्षमता विकास मदों में विस्तृत मानको का निर्धारण कर आपके सुलभ सन्दर्भ हेतु संलग्न प्रेषित है।
6. डी.डब्ल्यू.पी.एम.यू.के सदस्य सचिव कार्यालय में गठित डब्ल्यू.सी.डी.सी. सेल को तालिका के कालम 9 में अंकित धनराशि केवल संस्थागत क्षमता विकास कार्यो में उपयोग हेतु आवंटित की जा रही है।
7. विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तथा प्रारम्भिक कार्यकलाप EPA मदों की अवशेष धनराशि कार्य प्रगति एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरान्त यथाशीघ्र अवमुक्त की जायेगी।
8. प्रत्येक कार्यदायी संस्था (PIA) किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में अपना परियोजना कोष नाम से बैंक खाता खुलवायेगें तथा DWPMU उसी खाते में PIA को धनराशि का हस्तान्तरण करेगें।
9. परियोजना कोष तथा संस्थागत कोष का लेखा-जोखा अलग-अलग तैयार किया जाएगा।
10. संलग्न प्रारूप 1, से प्रारूप 6 में प्रत्येक माह की अन्तिम तिथि तक प्रगति विवरण SLNA को uttarakhandslna@gmail.com पर E-mail द्वारा प्रेषित करना सुनिश्चित करें। ये प्रारूप हमारी website : www.iwmp.uttarakhand.in पर भी उपलब्ध है।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार

नीना ग्रेवाल,

 (नीना ग्रेवाल)

अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी
 (एस.एल.एन.ए.) उत्तराखण्ड
 देहरादून।

पत्रांक 195 / 1 - 2 / P.F. / Budget / 2011 / दिनांकित

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सम्बन्धित जिलाधिकारी/अध्यक्ष DWDU उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाएं।
3. सचिव जलागम उत्तराखण्ड शासन सूचनार्थ।
4. सिस्टम मैनेजर जलागम प्रबन्ध निदेशालय को SLNA की website पर अंकित करने हेतु।

(नीना ग्रेवाल)

अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी
 (एस.एल.एन.ए.) उत्तराखण्ड
 देहरादून।